

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि को सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा वगैरह यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रावकों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री आनंद सिंह सुपुंड
पिता/पति का नाम श्री श्री अरवि मुहल्ला वारा नरहर में वक्फे में

दक्षिण खान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन विन के अनुसार निर्माण अथवा आ. 769 जिला मजदारी प्लान अनुमति
पत्र निर्माण करें।



25.2.10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :— 1—यह स्वीकृति पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण खर्च सार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माण अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ धरूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रावधान जैसे कि पोर्ट का, बारजा, तोड़िया, सीढ़ी, क्षाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण का स्वीकृति चाहिे उसके साथ तकशे न दिखलाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।



3—मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अंतर्गत पिछलादे अथवा उसके आकार के कारण बक गई हो) की हानि पहुंचे तो गृह स्वामी गृह नंबर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कक्षा तो पहले हो उसे अपने खर्च से मरम्मत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक पन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी को नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6—यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पक्षा सूचना निर्माता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर सख्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Handwritten signature and date 25/2/10 at the bottom of the page.



NOTE

TOTAL PLOT AREA = 9550.00 SQ.MT.
 ROAD WIDENING AREA = 392.96 SQ.MT.
 NET PLOT AREA = 9157.04 SQ.MT.
 COVERED AREA ON G.F. = 2563.79 SQ.MT.
 COVERED AREA ON F.F. = 2185.96 SQ.MT.
 COVERED AREA ON S.F. = 2185.96 SQ.MT.
 OPEN AREA ON G.F. = 5583.25 SQ.MT.
 MUMTY AREA = 99.92 SQ.MT.
 TOTAL COVERED AREA = 6975.71 SQ.MT.
 NO. OF CAR PARKING = 112
 ASHIM CAR PARKING = 0.04
 GROUND COVERAGE = 73.14%

BUILDING SCALE: 1:200

PROPOSED PLAN FOR DIPLOMA IN TECHNICAL EDUCATION
 IN CIVIL ENGINEERING
 MAHARAJA JAYRAJ PRAKASHAN
 DIGITAL CAMPUS
 DISTRICT - ALAHAHABAD
 OWNER:-
 SURENDRKA EDUCATIONAL SOCIETY -
 HANS MANSI NUSTED U.P. OF SCIENCE & TECHNOLOGY